9/11/21

प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021

'प्रशासन गांवो के संग अभियान– 2021'' के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश होने से पंचायत समिति, भूपालसागर में शिविर दिनांक 09.11.2021 शिविर स्थल ग्राम पंचायत, भूपालसागर में पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने स्वयं की ग्राम कांकरवा में स्थित निजी खातेदारी की आराजियात संख्या 1060 रकबा 5.45 है., आ.सं. 1061 रकबा 0.50 है., आ.सं. 1064 रकबा 0.36 है., आ.सं. 1065 रकबा 0.60 है. किता 4 रकबा 6.91 हैक्टेयर भूमियों पर पत्थरगढ़ी निशानात नहीं होने से आये दिन विवाद होने से पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। शिविर स्थल पर हल्का पटवारी से मौका स्थिति के बारे में जानकारी ली गई, हल्का पटवारी ने बताया कि मौके पर सीमा निशानात नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाई जाना उचित है। पत्रावली के अवलोकन के पश्चात प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर ग्राम कांकरवा में स्थित निजी खाते की आराजियात संख्या 1060 रकबा 5.45 है., आ.सं. 1061 रकबा 0.50 है., आ.सं. 1064 रकबा 0.36 है., आ.सं. 1065 रकबा 0.60 है. किता 4 रकबा 6.91 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी की जाने हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को 500 रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं हो, अन्य किसी न्यायालय में वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं हो एवं मौके पर फसल खड़ी नहीं हो, कि जानकारी करने के उपरांत ही उभयपक्ष को सूचित कर, दोनों पक्षों की मौजूदगी में अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें। पत्थरगढ़ी का कमिश्नरी शुल्क मौके पर प्राप्त कर, शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित करें। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.11.10 15:58:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

क्रमांक/राजस्व/प्र0गां0सं0अ0 2021/प.(09–2021) दिनांक :–09.11.2021

निमित,

तहसीलदार
भूपालसागर

प्रशासन गांवो के संग
अभियान-2021

विषय :– बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. जनार्दन पिता नरेन्द्रसिंह राणावत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. निरंजन पिता नरेन्द्रसिंह राणावत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. विभुराज पिता नरेन्द्रसिंह राणावत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कालुलाल पिता गणेशलाल गाडरी नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. गोकल पिता देवजी गाडरी नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. तुलसीराम पिता मोडा तेली नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. किशनलाल पिता मोडा तेली नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. उदयराम पिता गोपीलाल तेली नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
6. नारायण पिता वेणी लाल तेली नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
7. जयराम पिता सोराम तेली नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
8. गणेश पिता नन्दराम जाट नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
9. देवीलाल पिता माधु जाट नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :– 09/2021

–:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::–

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/– रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर में स्थित खाता संख्या 866 के आ0सं0 1060 रकबा 5.45 है. आ0स0 1061 रकबा 0.50 है. आ0स0 1064 रकबा 0.64 है. आ0स0 1065 रकबा 0.60 है. कुल किता 4 कुल रकबा 6.91 है. **की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर [illegible] पर [illegible] विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो, एवं अन्य किसी न्यायालय मे कोई वाद लम्बित/विचाराधिन [illegible] हो, तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करें।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.11.10 15:58:24 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर जि. चित्तौडगढ़ (राज.)